न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट खोहडा करमाली)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

केस नं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12	19.10.2015	09.05.2018

उनवान

1. तैयब पुत्र श्री दलशेर जाति मेव निवासी ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत रघुनाथगढ, पंचायत समिति रामगढ, तहसील रामगढ, जर्ये सरपंच
जैकम पुत्र स्व0 सुभान खां जाति मेव
युनूस पुत्र स्व0 सुभान खां जाति मेव
ईशो पुत्र स्व0 मामला खां जाति मेव
दीनू पुत्र स्व0 मामला खां जाति मेव
खुर्शीद पुत्र स्व0 नूरला खां जाति मेव
जमालु पुत्र स्व0 नूरला खां जाति मेव
रसीद पुत्र स्व0 सफरूदीन खां जाति मेव
हक्कू पुत्र स्व0 सफरूदीन खां जाति मेव निवासियान खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....असल रेस्पोडेन्टस्

1. फज्जर पुत्र श्री दलशेर जाति मेव
2. नदीरान पुत्र श्री दलशेर जाति मेव निवासियान खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... तरतीबी रेस्पाडेण्ट

(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत रघुनाथगढ दिनांक 23.06.1987, ई0 नं0 920)

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि साबिक खसरा नम्बर 1221, 1240 जिनके हाल खसरा नम्बर 20 रकबा 0.58, 24 रकबा 0.43, 45 रकबा 0.55 वाके ग्राम खोहडा करमाली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता दलशेर पुत्र जस्सा मेव की गैर खातेदारी की आराजीयात थी, जिस

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पर वो अपने जीवन काल में काबिज काश्तकार रहे व उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात जर्ये विरासत इन्तकाल सं0 771 दिनांक 09.01.198 को अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम कागजातमाल में दर्ज हुई जिस पर तभी से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी बाबत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ द्वारा दिनांक 23.06.1987 को इन्तकाल सं0 920 बेजा रूप से रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पिता सुभान खां, मामला, नूरला व सफरूदीन के हक में खोल दिया जिस इन्तकाल की पुश्त पर दर्ज है। उक्त आराजीयात जर्ये बयनामा सं0 38 दिनांक 08.02.1973 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण द्वारा खरीद की गई है, जिस आलोच्य इन्तकाल के दर्ज होने की कोई जानकारी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को कभी नही हुई, उक्त इन्तकाल प्रारम्भ से ही मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक हकूको के मुकाबले बातिल बेअसर व शुन्य था। मुताबिक इन्तकाल सं0 920 में दर्ज बयनामा सं0 38 के अनुसार उक्त आराजीया को दलशेर पुत्र जस्सा मेव द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण को विक्रय की गई थी, जबकि अपीलान्ट के पिता द्वारा उक्त आराजीयात का विक्रय कभी भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण को नही किया गया है, रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण ने उक्त विक्रय पत्र फर्जी व नुमाईशी तौर पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता के स्थान पर दीगर व्यक्ति को खडा करके तथा राजस्व कर्मचारियों से बेजा मेलजोल रखते हुए कराया गया है इस तथ्य का पुख्ता प्रमाण यह भी है कि वक्त बयनामा दिनांक 08.02.1973 मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता दलशेर उक्त आराजीयात के गैरखातेदार काश्तकार थे जो कानूनन भी इस आराजी का विक्रय दीगर शख्स को नही कर सकते थे क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक गैरखातेदार काश्तकार अपनी आराजी का विक्रय नही कर सकता है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता दलशेर के जीवनकाल में भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण द्वारा उक्त बयनामा दिनांक 08.02.1973 के अनुसरण में एक इन्तकाल सं0 225 दिनांक 10.02.1973 भी ग्राम पंचायत में खुलवाया गया था, जिस इन्तकाल को तत्कालीन जमाबन्दी में दर्ज किया गया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने देखा कि विक्रेता गैरखातेदार है और यह बयनामा कानून के विरूद्ध हुआ है, जिसके पश्चात इन्तकाल को दर्ज ना करते हुए निरस्त कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण के हक में दिनांक 10.02.1973 को एक इन्तकाल सं0 225 तस्दीक किया गया था जो इन्तकाल विरूद्ध कानून होने के कारण अमल में नही लाया गया तथा निरस्त

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

फरमाया गया। उसी बयनामे के आधार पर इन्तकाल सं0 920 तस्दीक किया गया। जो गैर कानूनी व खिलाफ कानून है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत रघुनाथगढ द्वारा दिनांक 23.06.1987 को स्वीकार फरमाया गया आलोच्य इन्तकाल सं0 920 निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेण्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा0 की ओर से विधिवत् तामिल बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। तत्पश्चात रेस्पा0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा करमाली दिनांक 09.05.2018 को पत्रावली अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचांयत खोहडा करमाली दिनांक 09.05.2018 को अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता दलशेर पुत्र जस्सा मेव की गैर खातेदारी की आराजीयात थी, जिस पर वो अपने जीवन काल में काबिज काश्तकार रहे व उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात जर्ये विरासत इन्तकाल सं0 771 दिनांक 09.01.198 को अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम कागजातमाल में दर्ज हुई जिस पर तभी से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी बाबत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ द्वारा दिनांक 23.06.1987 को इन्तकाल सं0 920 बेजा रूप से रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पिता सुभान खां, मामला, नूरला व सफरूदीन के हक में खोल दिया जिस इन्तकाल की पुश्त पर दर्ज है। उक्त आराजीयात जर्ये बयनामा सं0 38 दिनांक 08.02.1973 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण द्वारा खरीद की गई है, जिस आलोच्य इन्तकाल के दर्ज होने की कोई जानकारी अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को कभी नही हुई, उक्त इन्तकाल प्रारम्भ से ही अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक हकूको के मुकाबले बातिल बेअसर व शुन्य था। मुताबिक इन्तकाल सं0 920 में दर्ज बयनामा सं0 38 के अनुसार उक्त आराजीया को दलशेर पुत्र जस्सा मेव द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण को विक्रय की गई थी, जबकि अपीलान्ट के पिता द्वारा उक्त आराजीयात का विक्रय कभी भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण को नही किया गया है, जिस इन्तकाल को तत्कालीन जमाबन्दी में दर्ज किया गया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने देखा कि विक्रेता गैरखातेदार है और यह बयनामा कानून के विरूद्ध हुआ है, जिसके पश्चात इन्तकाल को दर्ज ना करते हुए निरस्त कर दिया गया

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

था। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ला0 9 के पितागण के हक में दिनांक 10.02.1973 को एक इन्तकाल सं0 225 तस्दीक किया गया था जो इन्तकाल विरूद्ध कानून होने के कारण अमल में नही लाया गया तथा निरस्त फरमाया गया। उसी बयनामे के आधार पर इन्तकाल सं0 920 तस्दीक किया गया। जो गैर कानूनी व खिलाफ कानून है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इन्तकाल संख्या 920 दिनांक 23.06.1987 सरपंच ग्राम पंचायत रघुनाथगढ पंचायत समिति, रामगढ जिला अलवर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आंदेश

अतः अपील अपीलान्ट लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा करमाली में दिनांक 09.05.2018 को स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 920 दिनांक 23.06.1987 सरपंच ग्राम पंचायत रघुनाथगढ पंचायत समिति, रामगढ जिला अलवर निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर सही जांच करते हुए नये सिरे से इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.05.2018 को लोक अदालत ग्राम पंचायत खोहडा करमाली मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

(बाल कृष्ण तिवाडी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)